

कार्यालय वनमंडलाधिकारी, बालोद वनमंडल, बालोद (छ.ग.)

काष्ठागार परिसर, दल्लीराजहरा रोड, बालोद कार्यालय: फोन न. 07749-223904

ई-मेल: dfobalod@yahoo.com

क्रमांक / तक.अधि. / 2021 | 762
प्रति.

बालोद, दिनांक 09/04/2021

मुख्य वनसंरक्षक
दुर्ग वृत्त दुर्ग (छ.ग.)
विषय :- Diversion of forest land for non-forest purpose under forest conservation Act, 1980 proposed for widening & upgradation to 2 lane of Lohara Rengadabri junapani Chowki Road area - 1.07 ha. - regarding. पंजीयन क्र. FP/CG/ROAD/24943/2017.

- संदर्भ:- 1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक अटल नगर नया रायपुर का पत्र क्र./भू-प्रबंध /विविध /एल.एम -115-683/2004 दिनांक 21.06.2017
2. आवेदक संस्थान का प्रस्ताव प्रस्तुत दिनांक 05.04.2021

※ ※ ※ ※ ※

उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है, कि संदर्भित पत्र क्र. 1 के माध्यम से Diversion of forest land for non-forest purpose under forestConservation Act,1980 proposed for Widening & Upgradation to 2 line of Lohara Rengadabri Junapani Chowki Road area - 1.07 hac. - regarding पंजीयन क्र. /FP/CG/ROAD/24943/2017. द्वारा पंजीयन आबंटन किया गया है। के परिपालन में आवेदक संस्थान द्वारा संदर्भित पत्र क्र 2 के माध्यम से नवीन चेक लिस्ट के बिन्दु क्र 1 से 44 तक जिसमें रकबा 5.530 हे0 का पुनरीक्षित प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया है, विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	विवरण	पृष्ठ क्र.
1.	आवेदक विभाग का मांग पत्र- आवेदनकर्ता परियोजना प्रबंधक, छत्तीसगढ़ रोड डेवलपमेंट कार्पोरेशन लि. रायपुर ने बालोद जिले के बालोद वनमण्डल अंतर्गत 5.530 हे वन भूमि आरक्षित वन 4.44 एवं संरक्षित वन 1.090 हे0 पर मार्ग निर्माण हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत फार्म "क" पर कुल रकबा 5.530 हे. मांग किया है, जिसका स्थल निरीक्षण वनमण्डल अधिकारी द्वारा किया जा कर प्रपत्र 3" पर अनुशंसा की गई है। यह अनुशंसा वनमण्डलाधिकारी के स्थल निरीक्षण दिनांक 08/04/2021 के आधार पर की गई है। फार्म-ए का पार्ट-2 (आवेदक संस्थान) पार्ट 2 (वनमंडलाधिकारी) एवं आनलाईन टाईम लाईन की 1-1 प्रति में संलग्न हैं।	01 से 10
2.	रजिस्ट्रेशन कोड एवं वर्ष की पुष्टि हेतु ऑनलाईन एकनालेजमेंट स्लिप की छायाप्रति:- प्रस्ताव का अनलाईन रजिस्ट्रेशन क्रमांक FP/CG/ROAD/24943/2017 आबंटित किया गया है। आवेदक संस्थान द्वारा पंजीयन एवं प्रोसेसिंग शुल्क कुल 24000/-रु. जमा कर दिया गया है।	11 से 13
3.	वन क्षेत्र विवरण:- आवेदित रकबा 5.530 हे0 वन क्षेत्र का विवरण संलग्न।	14
4.	गैर वन क्षेत्र विवरण:- प्रस्ताव में गैर वन क्षेत्र की आवश्यकता नहीं है।	15

	प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे आफ इंडिया का मूल टोपोशीट 1:50000 स्केल पर:- प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे आफ इंडिया का मानचित्र संलग्न है।	16 से 20
6.	वन क्षेत्र का इन्डेक्स मैप:- वन क्षेत्र का इन्डेक्स मैप तथा एफ.एम.आई.एस. द्वारा जारी वन आवरण मानचित्र संलग्न है।	21 से 32
7.	प्रपत्र-4 में प्रस्ताव:- प्रपत्र-4 में परियोजना की प्रशासकीय लागत 11924.928 लाख रु है। आवेदक संस्थान ने प्रस्ताव को स्वीकृति योग्य माना है तथा उल्लेख किया है कि प्रस्तावित वन क्षेत्र में मार्ग चौड़ी करण उन्नयन कार्य किया जाना है, इस मार्ग के निर्माण होने से बालोद शहर में यातायात दबाव कम होगा तथा इस मार्ग का चौड़ीकरण निर्माण होने से दुर्ग, दल्लीराजहरा, मानपुर की ओर जानी वाली वाहन सरलता से तैय कर सकेगी। जिससे बालोद जिला के यातायात के दबाव को कम किया जा सकेगा। इस प्रकार मार्ग निर्माण से जिले के साथ-साथ प्रदेश एवं सम्पूर्ण भारत लाभांशित होगा इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए इस प्रस्ताव को स्वीकृति हेतु अनुशंसा की जाती है।	33 से 40
8.	प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीप:- प्रस्ताव में प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीप । संलग्न है।	41 से 64
9	वैकल्पिक वृक्षारोपण राशि जमा करने का वचन पत्र । (वह दर अंतिम रूप से भूमि प्रत्यावर्तन के समय लागू होगी देय होगी) ए युनियन बैंक एवं कार्पोरेशन बैंक नई दिल्ली के बचत खातों का विवरण संलग्न है। वचन पत्र संलग्न है।	65 से 67
10.	न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र:- प्रस्ताव में न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र संलग्न है।	68
11.	पर्यावरण संरक्षण क्लीरेंस प्रमाण पत्र (जिन प्रकरण में लागू न हो उसके भारत सरकार कर परिपत्र लगा कर उल्लेख करें)सिचाई के प्रकरण में 10.000 हे.तक में राज्य पर्यावरण प्रदूषण मंडल से स्वीकृति (भारत सरकार पर्यावरण वन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006) इससे अधिक में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली से लिया गया आवश्यक है, संलग्न है।	69 से 75
12.	वृक्ष विदोहन विवरण (प्रपत्र -अ एवं ब में) संलग्न है।	76 से 129
13.	कास्ट बेनेफिट एनालिसिस संलग्न है।	130-139
14.	चयनित गैर वन क्षेत्र/निजी भूमि(पंचशाला खसरा की नकल,मानचित्र,सक्षम अधिकारी का हस्तांतरण आदेश) राजस्व वन क्षेत्र (संलग्न प्रपत्र में अधिसूचना मय नक्शा प्रस्ताव तथा 03 प्रति में पृथक से वनसंरक्षक के हस्ताक्षर एवं सील सहित आवेगा।) आवश्यकता नहीं है।	140
15.	गैर वन क्षेत्र के आस-पास क्षेत्र का नक्शा। आवश्यकता नहीं है।	141
16.	स्थल विशेष वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना (शासन द्वारा अनुमोदित दरों पर 25 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि के सात वर्षीय मय उपचार मानचित्र-अक्षांश-देशांश प्रजाति विवरण सहित) जो वन असिचित क्षेत्र चयनित होगा उसका वनमंडलाधिकारी का प्रमाण पत्र पृथक से आवेगा,। संलग्न है।	142 से 178
17.	वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त प्रमाण पत्र। संलग्न है।	179 से 181
18.	अधिनियम उल्लंघन क अधिकारियों का विवरण । संलग्न है।	182
19.	अधिनियम उल्लंघन क अधिकारियों का विवरण। संलग्न है।	183
20.	अधिकारियों के विरुद्ध प्रस्तावित कार्यवाही । संलग्न है।	184
21.	गैर वनभूमि अनुपलब्धता मुख्य सचिव का प्रमाण पत्र। आवश्यकता नहीं है।	185
22.	कैचमेट ट्रीटमेंट प्लान। आवश्यकता नहीं है।	186
23.	रिक्लेमेशन प्लान। आवश्यकता नहीं है।	187
24.	माइनिंग प्लान आई.बी.एम.नागपुर द्वारा अनुमोदित (केवर माइनिंग प्रकरण) । आवश्यकता नहीं है।	188
25.	व्यवस्थापन प्लान। आवश्यकता नहीं है।	189

26.	वनमंडल अधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन (प्रपत्र I एवं IV तक) IV मुख्यालय से भरा जावेगा। संलग्न है।	190 से 204
27.	ऐतिहासिक प्रमाण पत्र। संलग्न है।	205
28.	संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र । संलग्न है।	206 से 210
29.	जिले की कुल वनभूमि रकबा हैं. में । संलग्न है।	211
30.	व.स.अ. 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में प्रभावित हुई वन रकबा हैं. । संलग्न है।	212
31.	व.स.अ. 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में इसी category की कुल प्रत्यावर्ती वनभूमि रकबा हैं. में । संलग्न है।	213
32.	प्रस्तावित क्षेत्र में 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण या हाथी कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति न होने की जानकारी (छत्तीसगढ़ शासन का पत्र क्रमांक/ एफ-5-20/2007/10-2 दिनांक 12/01/2010.) संलग्न है।	214
33.	15 किलोमीटर परिधि के नक्शे में खनन हेतु प्रस्तावित स्थलों का चिन्हांकन(केवल खनन प्रकरणों में) संलग्न है।	215
34.	वन अधिकार मान्यता पत्र विवरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र (यदि निरंक हो तो भी प्रमाणित होगा),। (भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक/F.No. 10-9/1998-FC दिनांक 12/05/2007) भारत सरकार की गाईड लाईन की छायाप्रति संलग्न है।	216 से 220
35.	राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण पत्र (कार्यालयीन पत्र क्रमांक भू-प्र/1317 दिनांक 25/05/2007) संलग्न है।	221 से 222
36.	माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार प्रत्याशा मूल्य जमा करने का वचन पत्र। वचन पत्र संलग्न है।	223 से 224
37.	Clearance under FC Act, Deposition with the Ad-hoc CAMPA Remittance to precede 2 nd clearance, (भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय ,भोपाल का पत्र क्रमांक 7-1/2004(CAMPA) Meeting 3068 दिनांक 24.02.2010) संलग्न है।	225 से 227
38.	A detailed note on soil Productivity ot the lack of it भारत सरकार ,पर्यावरण वन मंत्रालय कार्यालय,भोपाल का पत्र क्रमांक 6- MPC013/2008BHO/357 दिनांक 06.01.2011) संलग्न है।	228 से 230
39.	परियोजना की किसी भी प्रकार की भूमि में कार्य प्रारंभ न करने का प्रमाण पत्र।(भारत सरकार ,पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली का पत्र क्रमांक FNo.2-1/2003-FC दिनांक 06.01. 2011) संलग्न है।	231
40.	Diversion of large area(more then 500 ha.) of forest land for mining and other non-forestry purpose under the forest (Conservation)Act. 1980- stipulation of additional condition (The user agency shall establish and operate a Vocational Training Institute)(भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली का पत्र क्रमांक FNo.11-9/1998-FC) दिनांक 04.01.2011) संलग्न है।	232

राज्य शासन से संबंधित अभिलेख

41	पंजीयन क्रमांक-पंजीयन पुल्क एवं प्रोसेसिंग पुल्क का विवरण:- (छत्तीसग शासन वन विभाग का पत्र क्रमांक /एफ-7-22-2009/10-2 दिनांक 31.07.2009) संलग्न है।	233 से 234
42	वन्यप्राणी परियोजना पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) का अभिमत (विशेषकर खनन प्रकरणों में) संलग्न है।	235
43	विद्युत लाईन से संबंधित प्रकरणां में एक स्थल से दूसरे स्थल तक टावर ले जाने का मानचित्र तथा तीन विकल्प में न्यूनतम प्रभावी वन क्षेत्र का विवरण (भारत सरकार क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल का पत्र क्रमांक 6CHC022/2010-BHO/934 Dt. 24-05-2010) संलग्न है।	236
44	प्रस्ताव में अन्य (Misc) कमियों का विवरण । संलग्न है।	237 से 289

प्रकरण शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार तैयार किया गया है तथा समस्त प्रचलित संबद्ध नियमों/दिशा निर्देशों का पालन किया गया है। प्रस्ताव भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के वेब साईट में www.parivesh.nic.in पर अपलोड किया गया है।

उपरोक्त विवरण के आधार पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर प्रस्ताव से सहमत होते हुए, प्रपत्र-3 अनुशंसा सहित वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रथम चरण की स्वीकृति के लिये प्रस्ताव 4 प्रतियों में संलग्न प्रेषित है।


संलग्न:-

1. प्रस्ताव 4 प्रतियों में
2. डी.जी.पी.एस. सर्वे (प्रत्यावर्तित क्षेत्र) प्रस्ताव में संलग्न (04 प्रतियों में)
3. डी.जी.पी.एस. सर्वे (वैकल्पिक वृक्षारोपण क्षेत्र) प्रस्ताव में संलग्न (04 प्रतियों में)
4. टाईम लाईन

क्रमांक/तक.अधि./2021/763
प्रतिलिपि:-

1. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू-प्रबंध/व.स.अ.) अटल नगर नया रायपुर छ.ग. की ओर सूचनार्थ सादर संप्रेषित।
2. कलेक्टर बालोद जिला बालोद की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. परियोजना प्रबंधक छ0ग0 सड़क विकास निगम लि. रायुर की सूचनार्थ प्रेषित।


वनमंडलाधिकारी
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
बालोद वनमंडल बालोद
बालोद, दिनांक 09/04/2022


वनमंडलाधिकारी
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
बालोद वनमंडल बालोद